भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2864
दिनांक 28 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए
बाल दत्तक ग्रहण संबंधी विनियम

2864. श्री जनक रामः
श्री गणेश सिंहः
क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बाल दत्तक ग्रहण हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधनों का अनुसरण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और देश में बाल दत्तक ग्रहण एजेंसियों/संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;
(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बाल दत्तक ग्रहण एजेंसियों/संगठनों की अवैध गतिविधियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार का विद्यमान दत्तक ग्रहण कानूनों/नियमों में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संशोधन कब तक किए जाएंगे;
(घ) क्या सरकार का कानून को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय स्तर पर एक एजेंसी अथवा नोडल अधिकारी नियुक्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने सभी बाल परिचर्या संस्थान का पंजीकरण सुनिश्चित करने और उन्हें केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से जोड़ने के लिए राज्यों को निदेश दिया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

डा. वीरेन्द्र कुमार — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) : जी हां। पंजीकृत विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) तथा बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) से सभी अनाथ परित्यक्त तथा अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन करती है। कारा के यहां पंजीकृत विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुलग्नक-I में उपलब्ध है।

(ख) : ब्यौरे अनुलग्नक-II में उपलब्ध हैं।

(ग) : जी हां। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 61 यह अधिदेश देती है कि दत्तक ग्रहण को न्यायालय के आदेश द्वारा दाखिल किये जाने की तिथि से 2 माह की अवधि के अंदर अंतिम रूप दिया जा जाएगा। मंत्रालय ने जेजे अधिनियम 2015 की धारा 56(5), 58(3), 58(4), 59(7), 59(8), 60(1), 61(1), 62(2), 63, 64, और 65(4) के तहत ''न्यायालय'' को ''जिला मजिस्ट्रेट'' से प्रतिस्थापित करने के लिए जेजे अधिनियम 2015 के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। इस समय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
(घ) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (सारा) और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण यूनिटों (डीसीपीयू) तथा बाल कल्याण समितियों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27, 28, 30, 67 और 106 तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम

33, 34 और 35 के अनुसार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित कार्यों के साथ नोडल एजेंसी के रूप में काम आया है।

(ड.) बाल परिचर्या संस्थान अभी तक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधीकरण (कारा) के यहां पंजीकृत/संबद्ध नहीं है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 ने यह अनिवार्य किया है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सभी बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण किया जाए। इसके अलावा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 66(2) और दत्तक ग्रहण विनियम 2017 का विनियम 58 सभी बाल देखरेख संस्थाओं के अनिवार्य पंजीकरण तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी से उनकी संबद्धता का प्रावधान करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05 मई, 2017 के माध्यम से रिट याचिका (सिविल) संख्या 2007 का 102 में अपने निर्णय में भी इसका आदेश दिया है। माननीय मंत्री द्वारा 29 सितंबर, 2017 को सभी मुख्य मंत्रियों को इस आशय का पत्र (प्रति अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न है) भी लिखा गया है। इसके अलावा 24 अक्तूबर, 2017 को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं (चर्चा का रिकॉर्ड सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र सं. कारा-टीसी012/2/2017-प्रशिक्षण दिनांक 25.01.2018 के माध्यम से परिचालित किया गया है जो अनुलग्नक-4 के रूप में संलग्न है)। हाल ही में 20 नवम्बर, 2018 कोकारा के सीईओ द्वारा सभी प्रधान सचिवों कोएक और पत्र लिखा गया है (प्रति अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न है)। बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना तथा मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंगस) पर एसएए-सीसीआई लिंकेज का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-6 के रूप में संलग्न है।

****

अनुलग्नक-I

विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएसए) की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है

क्र.सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत एसएए की संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	23
4.	बिहार	28
5.	चंडीगढ	1
6.	छत्तीसगढ़	13
7.	दादर और नागर हवेली	1
8.	दिल्ली	11
9.	गोवा	2
10.	गुजरात	16
11.	हरियाणा	8
12.	हिमाचल प्रदेश	1
13.	झारखंड	15
14.	कर्नाटक	28
15.	केरल	17
16.	मध्य प्रदेश	31
17.	महाराष्ट्र	63
18.	मणिपुर	9
19.	मेघालय	6
20.	मिजोरम	7
21.	नागालैंड	4
22.	ओडिशा	28
23.	पुद्दुचेरी	4
24.	पंजाब	9
25.	राजस्थान	35
26.	सिक्किम	4
27.	तमिलनाडु	20
28.	तेलंगाना	11
29.	त्रिपुरा	9
30.	उत्तर प्रदेश	18
31.	उत्तरांचल	8
32.	पश्चिम बंगाल	24
	योग	470

अनुलग्नक-।।

सूचित गैर-कानूनी दत्तक ग्रहण का ब्यौरा

(किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अधिनियमन के बाद अर्थात 15 जनवरी, 2016 से)

क्रम सं.	एजेंसी/पीएपी/अन्य का नाम	अभ्युक्तियां
1	कर्नाटक सरकार	मैसूर जिला, कर्नाटक में नसीमा नर्सिंग होम से बच्चों की बिक्री तथा कथित बाल अवैध व्यापार के मामले। राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है।
2	जोका मिलेनियम ओल्ड ऐज होम, 24 उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल	गैर कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने में एजेंसी की संलिप्तता पाए जाने के बाद एजेंसी बंद कर दी गई है।
3	नार्थ बंगाल पिपुल्स डेवेलेप्मेंट सेंटर, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	गैर कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने में एजेंसी की संलिप्तता पाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एजेंसी बंद कर दी गई है।
4	मारवाड़ी चैरीटेबल ट्रस्ट, जलगांव, महाराष्ट्र	गैर कानूनी दत्तक ग्रहण की सूचना प्राप्त हुई थी। कारा के निर्देशों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा एजेंसी बंद कर दी गई है।
5	पलिश्री महिला समिति, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	कारा और सारा द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच के आधार पर कारा ने एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़ीसा सरकार के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है।
6	महिला जन शिशु कल्याण केंद्र, बोकारो, झारखण्ड	संस्था द्वारा गैर कानूनी दत्तक ग्रहण की वजह से झारखंड सरकार ने एजेंसी को बंद कर दिया है।
7	उड़ान (किलकारी), भोपाल, मध्य प्रदेश	एजेंसी के विरूद्ध जांच की गई तथा जांच रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश जारी किया है जिसमें एजेंसी को तत्काल बंद करने की सिफारिश की गई है (प्रति संलग्न)।

प्रिय मुख्य मंत्री,

मैं यह पत्र राज्य सरकारों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरोकारों के संबंध में लिख रही हूँ। दत्तक ग्रहण में रखे जाने के लिए काफी संख्या में बचचों के उपलब्ध होने तथा बच्चों को अपनाने के इच्छुक अभिभावकों की भी समान रूप से काफी संख्या के बावजूद नगण्य संख्या में दत्तक ग्रहण हो रहे हैं। परिणामत: काफी संख्या में बच्चे बाल देखरेख गृहों में कष्ट झेल रहे हैं जबकि उनको गोद लेने वाले किसी परिवार की देखरेख में होना चाहिए।

2. मैंने ऐसे क्षेत्रों के एक सेट का संकलन किया है जहां राज्यों में प्रणालियां स्थापित नहीं हैं, जो इस प्रकार हैं:

(क) सारा के शासी निकाय का गठन : देखा गया है कि बार-बार अनुरोधों एवं अनुस्मारकों (सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संख्या कारा/इण्ड/पालसी/2017/3 दिनांक 18.07.2017 देखें) के बावजूद दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 33 के अनुसार सारा का गठन नहीं किया गया है। स्थिति अनुलग्नक-। में देखी जा सकती है।

(ख) सीडब्ल्यूसी का गठन एवं जिम्मेदारियां : दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी दृष्टि से मुक्त बच्चा घोषित करने में सीडब्ल्यूसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा अनेक जिलों में या तो सीडब्ल्यूसी का गठन नहीं किया गया है या फिर न्यूनतम 3 सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है। इसके अलावा उनको अधिनियम एवं विनियमों का यथा परिभाषित जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। अनुरोध है कि सीडब्ल्यूसी के कामकाज को प्रभावी बनाया जाए और उसकी निगरानी की जाए (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संख्या कारा-एससी1011/5/2017 दिनांक 19.05.2017 देखें)। स्थिति अनुलग्नक-। में देखी जा सकती है।

(ग) दत्तक ग्रहण में डीएम/डीसी की भूमिका : धरातल पर कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन जिला स्तरीय एजेंसियों जैसे कि डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी और विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों पर निर्भर है। दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन, विनियमन एवं निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सभी डीएम/डीसी तथा सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संख्या कारा-एससी1011/5/2017 दिनांक 19.05.2017 देखें)। अनुरोध है कि आप अपने कार्यालय से इसके अनुपालन के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करें।

(घ) एसएए-सीसीआई लिंकेज : प्रत्येक जिले में काफी संख्या में सीसीआई हैं, फिर भी उनमें से बहुत कम सीसीआई बार-बार अनुरोधों एवं अनुस्मारकों के बावजूद निकटतम दत्तक ग्रहण एजेंसी से संबद्ध हैं। जब तक सभी सीसीआई का पंजीकरण होगा और वे दत्तक ग्रहण एजेंसी से संबद्ध होंगी तब तक उनमें रहने वाले हजारों बच्चे परिवारों के साथ सौंपे जाने से वंचित हो जाएंगे। अनुरोध है कि सांविधिक बाध्यता को शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए (अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 34-7/2017/आरएएम/कारा दिनांक 06.01.2017 देखें)। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रिट याचिका संख्या 102/2007 दिनांक 05 मई, 2017 के माध्यम से इस पर निर्णय दिया है। स्थिति अनुलग्नक-। में देखी जा सकती है।

(ड) पालना रखना : हमने सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि बाल देखरेख संस्थाओं के बाहर तथा नर्सिंग होम में पालना रखा जाए ताकि लोग बच्चों को सुरक्षित ढंग से छोड़ सकें। कुछ प्रगति हुई है जिससे बच्चों का बहुमूल्य जीवन बचाया गया है। राज्य सरकारों से मेरा यह सुनिश्चित करने का

अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को अधिक बड़े पैमाने पर लागू किया जाए। स्थिति अनुलग्नक-। के रूप में देखी जा सकती है।

(च) न्यायालयों में दत्तक ग्रहण के लंबित मामले : राज्यों में अनेक परिवार/जिला न्यायालयों में 2 माह की निर्धारित अवधि के बाद भी भारी संख्या में मामले लंबित हैं। मेरा यह अनुरोध है कि राज्य सरकारों द्वारा मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाए और इनके समय से निस्तारण के लिए जेजे समिति तथा उच्च न्यायालय की सहायता ली जाए। मामलावार ब्यौरे अनुलग्नक-।। में उपलब्ध हैं।

3. मैं आभारी रहूंगी यदि उपर्युक्त मुद्दों पर तत्काल विचार किया जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर उपर्युक्त बिंदुओं की समीक्षा के लिए बैठक बुलाएं। मेरा यह मानना है कि इससे अपेक्षित प्रणाली स्थापित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू होगी।

सादर

भवदीय

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

श्री योगी आदित्यनाथ जी
माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226001
संलग्नक : यथोपरि

दत्तक ग्रहण संबंधी कार्रवाइयों का राज्यवार ब्यौरा

								सीसीआई	
		सारा							
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (सारा युक्त जिलों की संख्या के सहित)	दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 33 के अनुसार सारा के अधीशासी निकाय की संरचना	वियमान कार्यक्रम स्टाफ	एफएचसीज/अस्पतालों/एसएए आदि पर धारित क्रेडिल पॉइंट की संख्या	राज्य में जिलों की संख्या	डीसीपीयूज की संख्या (केयरिंग सूचना)	स्थापित सीडब्ल्यूसी	केयरिंगस की संख्या	एसएए से जुड़े हुए सीसीआई	एसएए
1.	अंडमान और निकोबार (यूटी)	नहीं	0(3*)	सूचना प्रतीक्षित	3	0	3	0	0	0
2.	आन्ध्रप्रदेश	नहीं	2(3*)	सूचना प्रतीक्षित	13	13	13	14	18	49
3.	अरूणाचल प्रदेश	नहीं	0(4*)	लागू नहीं	16	0	21	2	0	0
4.	असम	हां	3(4*)	शून्य	32	27	27	52	27	205
5.	बिहार	नहीं	3(4*)	0	38	38	38	23	3	11
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	नहीं	3(3*)	1	1	1	1	1	0	0
7.	छत्तीसगढ़	नहीं	3(4*)	सूचना प्रतीक्षित	27	27	27	11	16	94
8.	दादर एवं नगर हवेली (यूटी)	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	1	0	1	0	0	0
9.	दमन और द्वीप (यूटी)	नहीं	2(3*)	सूचना प्रतीक्षित	2	0	2	0	0	0
10.	दिल्ली	नहीं	3(3*)	1	11	11	10	12	39	449
11.	गोवा	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	3	0	2	2	0	0
12.	गुजरात	नहीं	3(4*)	16	33	31	33	18	1	1
13.	हरियाणा	नहीं	3(4*)	83	21	21	21	3	4	14
14.	हिमाचल प्रदेश	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	12	12	12	1	4	6
15.	जम्मू कश्मीर	नहीं	0(3*)	सूचना प्रतीक्षित	15	0	22	0	0	0
16.	झारखंड	हां	1(4*)	सूचना प्रतीक्षित	24	24	24	3	0	0
17.	कर्नाटक	नहीं	3(4*)	28	30	30	33	29	33	104
18.	केरल	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	14	14	14	18	3	15
19.	लक्ष्दीप (यूटी)	नहीं	0(3*)	सूचना प्रतीक्षित	1	0	1	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	नहीं	1(4*)	सूचना प्रतीक्षित	51	43	51	37	13	92
21.	महाराष्ट्र	नहीं	4(4*)	लागू नहीं	36	36	39	63	12	71
22.	मणिपुर	हां	3(3*)	14	9	9	9	9	1	2
23.	मेघालय	नहीं	3(3*)	71	12	11	11	6	1	2
24.	मिजोरम	हां	3(3*)	शून्य	8	8	8	7	4	10
25.	नागालैण्ड	हां	4(4*)	शून्य	11	11	11	4	2	2
26.	ठड़ीसा	नहीं	4(3*)	35	30	30	31	33	53	388
27.	पुद्दुचेरी (यूटी)	नहीं	2(3*)	लागू नहीं	4	2	3	4	3	12
28.	पंजाब	हां	2(4*)	4	22	22	22	9	6	17
29.	राजस्थान	नहीं	0(4*)	सूचना प्रतीक्षित	33	33	33	36	1	2
30.	सिक्किम	नहीं	1(3*)	1	4	4	3	4	0	0
31.	तमिलनाडु	हां	3(4*)	लागू नहीं	32	32	32	16	1	5
32.	तेलंगाना	नहीं	1(3*)		10	10	31	11	3	8
33.	त्रिपुरा	नहीं	3(3*)	शून्य	8	8	8	9	2	14
34.	ठत्तर प्रदेश	नहीं	3(4*)	शून्य	75	67	75	28	2	11
35.	ठत्तराखण्ड	नहीं	2(3*)	सूचना प्रतीक्षित	13	13	13	8	1	5
36.	पश्चिम बंगाल	नहीं	4(4*)	11	20	19	22	23	17	66
	कुल				674	607	707	461	270	1655

* आईसीपीएस मानकों के अनुसार कार्यक्रम सहायक स्टाफ

अनुलग्नक-**IV**

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)

सं. कारा-टीसी012/2/2017-ट्रेनिंग 25 जनवरी, 2018

विषय : 24 अक्तूबर, 2017 को इंडिया हैबिटेड सैंटर, नई दिल्ली में आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय/महोदया,

यह राज्यों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और अद्यतन जानकारी हासिल करने के लिए 24 अक्तूबर, 2017 को इंडिया हैबिटेड सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक के संदर्भ में है । समीक्षा बैठक में राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे दत्तक ग्रहण कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों और कार्यक्रमों पर चर्चा तथा एसएआरए, डीसीपीयू तथा सीडब्ल्यूसी की भूमिका पर बल दिया गया ।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त एतत्द्वारा सूचनार्थ संलग्न है ।

अनुरोध है कि बैठक में चर्चा किए गए कार्रवाई योग्य बिंदुओं तथा माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा दिए गए निर्देशों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट कारा को भिजवाएं ।

कृपया की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2018 तक archna.cara@gmail.com अथवा deepaksharma.cara@gmail.com पर भिजवाएं ।

भवदीय,

(डॉ0 के.सी. जार्ज)
संयुक्त निदेशक(कारा)

सेवा में,

(i) संबंधित विभाग के प्रधान सचिव (एसएआरए के अध्यक्ष)
(ii) संबंधित विभाग के निदेशक (एसएआरए के सदस्य सचिव)

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 24.10.2017 को आईएचसी, नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

1. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 24.10.2017 को आईएचसी, नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित शामिल हुए :

i. श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
ii. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
iii. श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव (महिला एवं बाल विकास)
iv. श्री अजय तिरकी, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
v. सुश्री आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
vi. सुश्री मीरा रंजन शेरिंग, संयुक्त सचिव (वित्त), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
vii. न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) के. हेमा, केरल उच्च न्यायालय
viii. श्री दीपक कुमार, सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

2. बैठक में चर्चा किए गए कार्रवाई योग्य मुद्दे और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के निर्देश इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	कार्रवाई योग्य मुद्दे तथा माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के निर्देश
(क)	प्रत्येक राज्य में एक माह के भीतर शासी निकाय बनाया जाए, अन्यथा संबंधित सारा के कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
(ख)	सारा के स्तर पर हर महीने समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं, जिनका कार्यवृत्त कारा के साथ साझा किया जाए।
(ग)	राज्य में जहां कहीं भी जेजे अधिनियम, 2015 के अनुसार विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों और बाल कल्याण समितियों का गठन नहीं किया गया है, वहां प्रत्येक जिले में इनका गठन किया जाए । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी बाल देखरेख संस्थाएं 01 दिसम्बर, 2017 तक पंजीकृत हो जाएं ।
(घ)	सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों में एक्सैल शीटें होनी चाहिएं, जहां सभी बच्चों के आंकड़े और लंबित चल रहे दत्तक ग्रहण मामलों और उनकी मौजूदा स्थिति का उल्लेख हो, ताकि मामलों को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने में सारा द्वारा आवश्यक हस्तक्षेप किया जा सके ।
(ड.)	बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे सभी बच्चों को केयरिंग्स से जोड़ा जाए । इसके लिए केयरिंग्स में ब्यौरे की समय पर प्रविष्ठि/अद्यतनीकरण के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं ली जाएं ।
(च)	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सारा को यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालनार्थ सभी अपंजीकृत अभिकरणों को 01 दिसम्बर, 2017 तक सिस्टम में पंजीकृत किया जाता है, अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक जिले का दौरा करना चाहिए । अपंजीकृत अभिकरणों को 31 दिसम्बर, 2017 तक बंद कर दिया गया है ।
छ	एसएआरए को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एसएए ठीक प्रकार से कार्य कर रहा हो और बच्चों का एमईआर करने के लिए अच्छे डॉक्टर और दत्तक-ग्रहण याचिकाएं दाखिल करने के लिए सुविज्ञ वकील पैनल में रखा गया हो । एसएए द्वारा पैनल में रखे सभी वकीलों का ब्यौरा एसएआरए की जानकारी में होना चाहिए।
ज	सभी एसएआरए द्वारा वकीलों की योग्यता और अनुभव के साथ जिला और एसएए वार विधिवत सत्यापित सूची 15 दिसम्बर,2017 तक कारा को अग्रेषित करनी चाहिए। उत्तम कार्य-

	निष्पादन का रिकार्ड रखने वाले वकीलों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अच्छा कार्य न करने वाले वकीलों को बदला जाना चाहिए।
झ	अंतर–देश दत्तक-ग्रहण में दत्तक-ग्रहण आदेश पारित करने में दो से अधिक सुनवाई नहीं होनी चाहिए। दो सुनवाई के बाद भी निपटान न होने वाले और दो माह से अधिक पेंडिंग केसों को रजिस्ट्रार और एसएआरए द्वारा हस्त्क्षेप हेतु उच्च न्यायालय की जे जे समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कारा को उसकी प्रति भेजी जाए ।
	सभी एसएआरए को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई थी कि अधिकतम बच्चे प्रणाली में लाये जाते हों और बिना परिवार वाले सभी बच्चों को 31 दिसम्बर, 2017 से पहले दत्तक-ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाना चाहिए। जनवरी, 2018 माह के दौरान आयोजित होने वाली अगली तिमाही बैठक में उसकी समीक्षा की जाएगी।
ट	कारा द्वारा एसएआरए के साथ समीक्षा बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी।
ठ	25 बच्चाँ, जो जयपुर में सरकार द्वारा संचालित एसएए पाये गये हैं, की माताएं मानसिक रूप से कमजोर हैं, और इन बच्चों को एक सप्ताह के भीतर प्रणाली में लाना चाहिए। दत्तक-ग्रहण हेतु कानूनी रूप से उनको घोषित करनेके लिए उचित प्रक्रिया तत्काल पूरी की जानी चाहिए।
ढ	उन एसएए को प्रोत्साहित किया जाना जो पीएपी की संतुष्टि, कारोबार के केस, केसों की त्वरित और समय पर प्रक्रिया करने, बाल कल्याण और परिवार के साथ फिर से जोडने के लिए किये गये प्रयास के अनुरूप बेहतर कार्य करते हैं।
ड	यह निदेश दिया गया था कि ऐसे एसएए/सीसीआई, जो पंजीक्रित नहीं हैं और अवैध कार्यकलाप कर रहे हैं, को तत्काल बंद कराया जाना चाहिए। साथ ही, जोस मावेली द्वारा संचालित सीसीआई, जिसके विरुद्ध कोर्ट ने निदेश जारी किये हैं और रिटायर्ड जस्टिस हेमा द्वारा पुष्टि की गई है, को तत्काल बंद किया जाना चाहिए।
प	एचएसआर का नया स्वरूप तैयार किया जा रहा है जो सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पीएपी के मूल्यांकन करने में अधिक उद्देश्य परक होगा। माता-पिता आदि की मन:स्थिति को जानने के बारे में भी पडोसी के विचार लिये जाने चाहिए।
फ	यह निर्णय किया था कि खराब मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट, जिसमें विनिर्धारित मेडीकल परीक्षणों के माध्यम से ठीक स्वास्थ्य स्थिति दर्ज नहीं की गई है, स्वीकार्य नहीं होगी। सभी परीक्षण किये जाने चाहिए और एमईआर के फार्मेट के अनुसार एमईआर सभी को परिचालित की जानी चाहिए।
ब	हर राज्य में जिला प्रशासन के परामर्श से नर्सिंग होम, अस्पतालों, मंदिरों, मस्जिदों में 300-400 पालना रखे जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में कम से कम 500 पालना होने चाहिए। पालना का कपडा नरम और धुलने योग्य होना चाहिए और वह पालने से जुडा होना चाहिए ताकि इसे हटाया नहीं जा सके। इसकी पिक्चर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को साझा की जानी चाहिए।
भ	सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति जे जे अधिनियम,2015 की धारा और तत्संबंधी मॉडल जे जे नियमावली के नियम 15-16 के अनुसार ही की जानी चाहिए।

म	यह निर्णय किया कि एनआईसी की टीम छतीसगढ, महाराष्ट्र के एसएआरए को नवम्बर,2017 माह के दौरान भेजें ताकि बालकों के ब्यौरे की समस्याओं और उनके पोर्टल पर अन्य रिपोर्टें एसएआएए को नजर न आने की समस्या का समाधान किया जा सके। पैंडिंग कोर्ट आदेशों की संख्या, एसएए–सीसीआई लिंकेज, सीसीआई की रिलिंकिंग आदि जैसे ब्यौरे संबंधित एसएआरए पर नजर आने चाहिए। एसएआरए छतीसगढ को अन्य एसएआरए से सभी अपेक्षाओं का संकलन करने, केयरिंग्स में उसको क्रियान्वित/एनआईसी द्वारा सुधार लाने के लिए तालमेल करना चाहिए।
त	पूर्वोत्तर राज्यों के एसएआरए को सलाह दी गई थी कि उनके राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रस्ताव भेजें।
थ	केरल एसएआरए फोस्टर देख-रेख के उन 29 मामलों का ब्यौरा केरल को भेजे जिसमें पीएपी दत्तक-ग्रहण किये जाने के लिए बालकों को अनुमति देने के लिए अनुरोध कर रहा है क्योंकि बच्चों को फोस्टर माता-पिता के साथ रहते हुए 05 वर्ष से अधिक हो गये हैं ।
द	कारा का परामर्शदाओं द्वारा प्रत्येक राज्य में संपर्क होना चाहिए, ताकि राज्यों में क्या हो रहा है इस बारे में स्थिति की अद्ययतन जानकारी प्राप्त हो सके। प्रत्येक सारा को मामले के ब्यौरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कारा द्वारा सौंपे किए क्षेत्रीय परामर्शदाता के संपर्क में रहना चाहिए।

7. अध्यक्ष को धन्यवाद के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

अनुलग्नक-V

कारा

दीपक कुमार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण
महिला एवं बाल वि□काास मंत्रालय,
भारत सरकार

संख्या : 57-10/2018-कारा

दिनांक : 20.11.2018

सेवा में,

श्री जे.एन. कनसोतिया,
प्रधान सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,महिला एवं बाल वि□काास वि□भाग मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल
दूरभाष : 0755-2554907
ई-मेलष pswcd@gmail.com

विषय : विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों के साथ बाल देखरेख संस्थानों के लिंक ।

महोदय,

जैसाकि आपको मालूम है, केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) , किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-68 के अंतर्गत् स्थापित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्यरत एक सांविधिक निकाय है । यह भारतीय बच्चों के दत्तकग्रहण के लिए एक नोडल बॉडी के रूप में कार्य करता है और घरेलू तथा विदेशी दत्तकग्रहणों को मॉनिटर तथा विनियमित करता है ।

2. विगत तीन वर्षों के दौरान, बताए गए दत्तकग्रहण 3000-4000 के मध्य रहे, जबकि विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों (एसएए) तथा बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में दत्तकग्रहण के लिए और अधिक बच्चे उपलब्ध हैं । यह आवश्यक समझा गया है कि दत्तकग्रहण बच्चों के पूल को बढ़ाया जाए और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और उसे शीघ्र किया जाए । अत: विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों में गोद लेने योग्य बच्चों की पहचान करने और प्राधिकृत प्रक्रिया से बाहर हो रहे गैर-कानूनी /अनौपचारिक दत्तकग्रहण को रोकने की जरूरत है ।

3. उपरोक्त का पता लगाने के लिए यह जरूरी है कि अभिभावक बिना देखरेख वाले प्रत्येक बच्चे तक पहुँचने के लिए स्थानीय स्तर पर एसएए-सीसीआई के लिंकेज को स्थापित किया जाए एवं उसे मॉनिटर किया जाए । पूरी प्रक्रिया में जिला बाल संरक्षण यूनिट (डीसीपीयू) की भूमिका महत्वपूर्ण है ।

4. यह प्रशंसनीय होगा यदि निम्नलिखित अनुदेशों को सभी डीसीपीयू को जारी कर दिया जाए और समयबद्ध ढंग से इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :

क) किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-41 के अनुसार जेजे एक्ट,2015 के तहत राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे सभी बाल देखरेख संस्थानों का पंजीकरण ।

ख) किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-66 के अंतर्गत यथा-अधिदेशित दत्तकग्रहण प्रणाली पर कार्रवाई करने के लिए सभी बाल देखरेख संस्थानों को निकटतम एसएए से लिंक कर दिया जाए ।

ग) जिले में सभी पंजीकृत/अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में तथा ऐसे बच्चों को आश्रय देने वाले आश्रय गृहों के गोद लेने योग्य सभी बच्चों (अनाथ, परित्यक्त और बेसहारा छोड़ दिए गए बच्चों) की पहचान की जाए।

घ) दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 29 के तहत यथा अधिदेशित केयरिंग्स में एसएए के साथ जुड़े हुए बाल देखरेख संस्थानों के सभी बच्चों की फ्रोफाइल अपलोड करने के लिए एसएए को निर्देश दिए जाएं।

ङ) गोद लेने योग्य ऐसे सभी बच्चों को सीडब्लयूसी के समक्ष पेश किया जाए और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-38 के अनुसार नियत प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित कराया जाए।

5. आप कृपया सभी डीसीपीयू के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम की व्यवस्था करें ताकि कारा / सारा भागीदारों को आवश्यक व्यवहारिक प्रशिक्षण दे सकें तथा सारा का स्टाफ इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए सीधे कारा से संपर्क करें। इस बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कारा को 15 दिसंबर, 2018 तक भिजवा दी जाए।

सादर,

आपका

ह/--

(दीपक कुमार)

सदस्य सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कारा)

विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएसए) बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई)

क्रम. संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (जिला और एसएसए की संख्या सहित	कुल पंजीकृत सीसीआई	जुड हुए कुल सीसीआई
1	आंध्र प्रदेश (13 जिला एवं 14 एसएसए)	797	743
2	असम (32 जिला एवं 22 एसएसए)	114	103
3	अरूणाचल प्रदेश (16 जिला एवं 2 एसएसए)	10	9
4	बिहार (38 जिला एवं 23 एसएसए)	59	57
5	चड़ीगढ़ (01 जिला एवं 01 एसएसए)	5	4
6	छतीसगढ़ (27 जिला एवं 10 एसएसए)	65	60
7	दिल्ली (11 जिला एवं 11 एसएसए)	80	79
8	गोवा	13	13
9	गुजरात (33 जिला एवं 19 एसएसए)	91	86
10	हरियाणा (22 जिला एवं 03 एसएसए)	78	70
11	हिमाचल प्रदेश(12 जिला एवं 01 एसएसए)	38	36
12	झारखडं (24 जिला एवं 08 एसएसए)	84	79
13	कर्नाटक (30 जिला एवं 29 एसएसए)	783	711
14	केरला (14 जिला एवं 17 एसएसए)	398	327
15	मध्य प्रदेश (51 जिला एवं 38 एसएसए)	65	61
16	महाराष्ट्र (36 जिला एवं 60 एसएसए)	388	352
17	मणिपुर (09 जिला एवं 09 एसएसए)	43	40
18	मेघालय (12 जिला एवं 03 एसएसए)	80	77
19	मिजोरम (08 जिला एवं 07 एसएसए)	38	37
20	नागालैंड (11 जिला एवं 04 एसएसए)	54	51
21	उड़ीसा (30 जिला एवं 18 एसएसए)	292	276
22	पुदोचरि संघ रज्य (04 जिला एवं 04 एसएसए)	44	06
23	पजांब (22 जिला एवं 08 एसएसए)	58	52
24	राजस्थान (33 जिला एवं 37 एसएसए)	05	05
25	तमिलनाडु (32 जिला एवं 16 एसएसए)	1336	250
26	तेलगांना (10 जिला एवं 11 एसएसए)	328	223
27	त्रिपुरा (08 जिला एवं 09 एसएसए)	16	16
28	उतर प्रदेश (75 जिला एवं 29 एसएसए)	27	18
29	उतराखडं (13 जिला एवं 07 एसएसए)	08	08
30	सिक्किम (04 जिला एवं 04 एसएसए)	15	11